

<p>तारीख दुक्स</p>	<p>दुक्स या कार्यवाही मय इनिशियल्स</p>	<p>नम्बर व या जो इस दुक्स में जारी है</p>
<p>10⁹/₂₀</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जाब उय० है। मिसल वास्ते बहस में दिनांक 30.9.20 को पेश है।</p>	
<p>30⁹/₂₀</p>	<p>पत्रावली पेश की वकील पञ्जाब उय० की उमर पत्रा के इतिहास के की बहस सुनी गयी। उमर पञ्जाब के इतिहास के छुट राशीनाम की मर्तों के दिये गये। मिसल वास्ते आदेश है दिनांक 5-10-20 को पेश है।</p>	
<p>5¹⁰/₂₀</p>	<p>पत्रावली पेश की वकील पञ्जाब उय० की उमर पत्रा के इतिहास के की बहस शुरू है सुनी जा रही है। बहस शुरू की है पत्रावली के छुट दस्तावेजों एवं राशीनाम विधि के आवेदन किया गया। उमर पञ्जाब के मध्य सुस्त राशीनाम की मर्तों के दिये गये तथा सुस्त राशीनाम वास पत्रा स्वीकार किया जाया है। मिसल पत्रा से लिखित जानक शामिल मिसल है। पत्रावली फैलल उमर के मर्तों के दिये है।</p>	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दुक्स

COVID-19 का निरोध करने के लिए
LOCK-DOWN का निर्धारण किया गया है।
सभी लोगों को घरों में रहना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज०)

मिसल नं. 04 / 2020

निर्णय दिनांक:-05.10.2020

पीठासीन अधिकारी- रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1- मुकेश कुमार पुत्र हरिमोहन जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)

(वादी)

बनाम

- 1- हरिमोहन पुत्र सुरजमल जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
- 2- ललित पुत्र हरिमोहन जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
- 3- सीमा पुत्री हरिमोहन जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
- 4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज०)

(प्रतिवादीगण)

- 1- वादीगण की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट
- 2- प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से श्री पृथ्वीराज वैष्णव एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,188 आर .टी .एक्ट.

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 की खाता संख्या 206 में खसरा संख्या 374/606 रकबा 0.30 है०, खसरा संख्या 381 रकबा 3.30 है०, खसरा संख्या 382/616 रकबा 0.31 है०, खसरा संख्या 390 रकबा 0.29

५

खसरा संख्या 479 रकबा 1.16 है0, खसरा संख्या 480 रकबा 0.61 है0 कुल किता 6 रकबा 5.97 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिता , प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है।

यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजी वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त पैतृक सम्पत्ति जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादी अपने निहित 1/3 हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक बँटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। विवादित भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित निहित है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 इसी अनुरूप विवादित भूमि पर अपने- अपने हित के अनुसार भूमि शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे हैं। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादी को भू-सुधार , कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय की सहायता से स्वयं के 1/3 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से विभाजन करवाये।

यह कि पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है तथा मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है तथा मीणा जाति के सदस्य शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते हैं जिसके अनुसार पुत्र होने की स्थिति में पिता की सम्पत्ति में पुत्री को कोई हित प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वादी के रहते प्रतिवादी क्रम 3 का विवादित भूमि में कोई हक निहित नहीं है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी क्रम 3 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वाद कारण दिनांक 11.11.2019 को वादी द्वारा उनके पिता प्रतिवादी क्रम 1 से बँटवारा करने बाबत निवेदन करने व उनके द्वारा इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 की खाता संख्या 206 में खसरा संख्या 374/606 रकबा 0.30 है0, खसरा संख्या 381 रकबा 3.30 है0, खसरा संख्या 382/616 रकबा 0.31 है0, खसरा संख्या 390 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 479 रकबा 1.16 है0, खसरा संख्या 480 रकबा 0.61 है0 कुल किता 6 की रकबा 5.97 है0 भूमि में वादी को उनके निहित हिस्से 1/3 भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का पृथक से बँटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-

- 1- नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018-2021 खाता सं0 23 ग्राम केशोपुरा
- 2- नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 ग्राम केशोपुरा
- 3- नकल नामान्तरकरण सम्वत् खाता संख्या 196 ग्राम केशोपुरा
- 4- नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 206 ग्राम केशोपुरा

वारिस प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश कर वाद पत्र की समस्त मदों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी का जवाब सहमति पूरक होने से प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में उभय पक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। उक्त राजीनामा में विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को निम्नानुसार पृथक से करने में एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में पक्षकारान के मध्य सहमति हुई है। पक्षकारान के मध्य सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार पेश किया है।

1- मुकेश कुमार पुत्र हरिमोहन जाति मीणा का हिस्सा:- (वादी)

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
381	3.30 है० में से 1.65 है०	दक्षिण दिशा
374 / 606	0.30 है०	सम्पूर्ण
कुल 2 किता	कुल रकबा 1.95 है०	-

2- हरिमोहन पुत्र सुरजमल जाति मीणा का हिस्सा:- (प्रतिवादी क्रम 1)

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
479	1.16 है०	सम्पूर्ण
480	0.61 है०	सम्पूर्ण
390	0.29 है०	सम्पूर्ण
कुल किता 3	कुल रकबा 2.06 है०	-

3- ललित पुत्र हरिमोहन जाति मीणा का हिस्सा:- (प्रतिवादी क्रम 2)

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
381	3.30 है० में से 1.65 है०	उत्तर दिशा
382 / 616	0.31 है०	सम्पूर्ण
कुल 2 किता	कुल रकबा 1.96 है०	-

यह कि प्रतिवादी क्रम 3 उक्त कृषि आराजीयात में अपना कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती व उक्त राजीनामा से सहमत है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य हुये आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवारा व उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों

५

अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य सहमति पूर्वक प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्बत् 2073-2076 की खाता संख्या 206 में खसरा संख्या 374/606 रकबा 0.30 है०, खसरा संख्या 381 रकबा 3.30 है०, खसरा संख्या 382/616 रकबा 0.31 है०, खसरा संख्या 390 रकबा 0.29 है०, खसरा संख्या 479 रकबा 1.16 है०, खसरा संख्या 480 रकबा 0.61 है० कुल कित्ता 6 की रकबा 5.97 है० भूमि में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

खसरा संख्या	रकबा	विशेष
381	3.30 है०	दस्तावेज संख्या 185 है०
374/606	0.30 है०	अधुना
382/616	0.31 है०	अधुना
390	0.29 है०	अधुना
479	1.16 है०	अधुना
480	0.61 है०	अधुना